दिनांक 08.07.2014 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की 18वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2014 को प्रातः 11.00 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की 18वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित माननीय मंत्रीगण एवं अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में राहत गतिविधियों की जानकारी एवं निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

सर्वप्रथम शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने माननीय मुख्यमन्त्री महोदया, माननीय मन्त्रीगणों, मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारीगणों का स्वागत करते हुए बैठक के एजेन्डे से सभी को अवगत कराया।

माननीय मुख्यमन्त्री महोदया की अनुमति से मौसम विभाग के निदेशक श्री बी.एन. विश्नोई को अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिये आमन्त्रित किया। प्रस्तुतिकरण के दौरान राज्य में गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष माह जुलाई में वर्षा की कमी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 01 जून से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक औसत से 72.16 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज हुई है तथा इस वर्ष अलनीनो का हल्का प्रभाव होने के कारण औसत से कम वर्षा हो सकती है परन्तु पूर्ण स्थिति का ऑकलन 20 जुलाई तक किया जाना संभव होगा।

(कार्यवाही–मौसम विभाग)

1. इसके सम्बन्ध में माननीया मुख्यमन्त्री महोदया द्वारा समस्त विभागों के मन्त्रीगणों एवं उपस्थित अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिये कि सूखे की संभावना को देखते हुए स्थिति का पूर्ण ऑकलन कर सभी संबंधित विभाग कंटिंजेन्सी प्लान के तहत पूर्ण रूप से तैयारी सुनिश्चित की जावे।

(कार्यवाही–सभी संबंधित विभाग)

2. सूखे की संभावना को देखते हुए लोगों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिये कि मनरेगा के तहत अकाल से प्रभावित परिवारों के लोगों को 100 दिवस से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें। इसी प्रकार अकाल राहत के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के राहत कार्य जो एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अन्तर्गत संचालित किये जाते है उनकी सीमा **अवधि** बढ़ाने हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा आवश्यक प्रयास किये जावें।

(कार्यवाही–ग्रामीण विकास एवं आ.प्र.एवं सहायता विभाग)

माननीय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मन्त्री महोदय ने बताया कि मानसून की प्रथम वर्षा के दौरान मौसमी बीमारियॉ फेलने का खतरा रहता है, जिसके बारे में उपयुक्त संसाधन जुटा कर रौकथाम की कार्यवाही करने बाबत आवश्यक कार्यवाही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावे।

(कार्यवाही–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वा.अभि. विभाग)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग ने अवगत कराया है कि माह फरवरी, 2014 कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खरीफ 2014 की तैयारियों हेतु आयोजित वर्कशाप में सभी राज्यों को यह सूचित कर दिया गया था कि इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। अतः सभी राज्य इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने कन्टिजेन्सी प्लान तैयार कर लें।

सूखे की संभावना के मध्येनजर राज्य में जिलेवार कंन्टिजेन्सी प्लान तैयार किये जा चुके हैं तथा इन पर राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में चर्चा भी हो चुकी है। इस बैठक में कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) काजरी एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के अधिकारी भी मौजूद थे। वर्षा देरी से आने की स्थिति में प्रत्येक जिले में कौन सी फसलें बोई जानी चाहिये, यह स्पष्ट कर दिया गया है।

कम अवधि में पकने वाली फसलों के बीजों की उपलब्धता का भी ऑकलन कर लिया गया है। यदि वर्षा जुलाई के अन्त/अगस्त के प्रथम सप्ताह तक भी नहीं आती है तो विभाग हरे चारे के बीजों के मिनी किट्स वितरण हेतु भी तैयारी कर रहा है।

(कार्यवाही–कृषि विभाग)

राजस्थान में सूखे की स्थिति के मध्ये नजर चारे की कमी को देखते हुए सुझाव दिया गया कि सेवण घास को राज्य में प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इसी संबंध में माननीय चिकित्सा मंत्री द्वारा सियावचक/चारागाह भूमि पर सेवण घास की बुवाई नरेगा के तहत कराये जाने का सुझाव दिया। इस हेतु सभी जिला कलेक्टरों को मनरेगा में इस कार्य को लिए जाने के लिए पत्र लिखा जावे।

(कार्यवाही–राजस्व तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि जिला कलेक्टरों द्वारा राहत गतिविधियॉ समाप्त होने के उपरान्त समय पर भुगतान नहीं होने संबंधित बिन्दु उठाया, इस संबंध में शासन सचिव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग समय पर भुगतान होना सुनिश्चित करे। इसके लिए समस्त जिला कलक्टर्स को लिखा जावे।

(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग)

बैठक में यह सुझाव दिया गया कि राज्य में पारम्परिक जल स्त्रोतों का मनरेगा के माध्यम से पुनरूद्धार किया जाना चाहिये तथा पीने के पानी की गुणवत्ता फिटकरी इत्यादि का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि फिल्टर प्लांट तथा जल संग्रहण केन्द्र की समय पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि उचित स्तर पर सभी जिला कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग करके नरेगा के माध्यम से पारम्परिक जल स्त्रोतों को सुदृढ एवं उनका पुनरूद्धार करने की कार्यवाही करें।

(कार्यवाही–जन स्वा.अभि. विभाग तथा ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग)

माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया है परन्तु एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के तहत पशुशिविर में यदि ऊंटों को रखकर चारा, पानी की व्यवस्था करनी हो तो यह दिशा–निर्देशों में कवर नहीं होता है। इस मुद्दे को अलग से पत्रावली पर लेकर भारत सरकार को भिजवाने हेतु निर्देश दिये ताकि ऊंट को भी पशुशिविर में अनुदान दिया जा सके।

(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग)

माननीय ऊर्जा मंत्री एवं शासन सचिव ऊर्जा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्षा की कमी की स्थिति में कृषि क्षेत्रों में बिजली की मांग बढ़ेगी एवं इससे कुल आपूर्ति पर प्रभाव पडेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि कृषि एवं घरेलू उपयोग की बिजली आपूर्ति बनी रहे यह समय पूर्व सुनिश्चित कर लिया जावे।

(कार्यवाही–ऊर्जा विभाग)

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में बांध व तालाबों में वर्तमान जलस्तर से माननीय मुख्यमंत्री महोदया को अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि बांधों/तालाबों में उपलब्ध पानी का सतर्कता से मोनेटरिंग करें। पीने के पानी के उपयोग को प्राथमिकता दें।

(कार्यवाही–जल संसाधन विभाग)

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत विभाग के पास उपलब्ध राशि के बारे में अवगत कराया कि वर्तमान में दिनांक 07.07.2014 को 134.80 करोड की राशि उपलब्ध है तथा भारत सरकार से 2 किश्तों में जुलाई, 2014 एवं फरवरी, 2015 में क्रमशः 365.05– 365.05 करोड की

राशि प्राप्त होनी प्रस्तावित है। इस संबंध में यह निर्देश दिये गये कि भारत सरकार से एस.डी.आर.एफ. की राशि जल्दी मंगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(कार्यवाही—आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग)

3. वर्ष 2013—14 (संवत 2070) में राज्य के 17 जिलों में अधिक व कम वर्षा होने से बोई गई फसलों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का नुकसान होने पर उक्त जिलों के 10225 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किये जाने के फलस्वरूप उक्त ग्रामों में एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स अनुसार संचालित राहत गतिविधियों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

4. वर्ष 2013—14 (संवत 2070) में राज्य के 22 जिलों में ओलावृष्टि से फसलों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का नुकसान होने पर प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु दिनांक 28.02.2014 को जारी राहत पैकेज अन्तर्गत प्रभावित काश्तकारों के 4 माह के बिजली के बिल माफ करने, कृषि आदान अनुदान प्रदान करने तथा आबियाना शुल्क माफ करने आदि का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

5. वर्ष 2013—14 (संवत 2070) में राज्य के 22 जिलों में ओलावृष्टि से फसलों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का नुकसान होने पर उक्त जिलों को अभाग्रस्त घोषित किया गया है। अभाव घोषणा के पश्चात उक्त जिलों में चारा परिवहन अनुदान, गौशाला/पशु शिविर संचालन, पेयजल परिवहन, अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन, अनुग्रह सहायता, भूराजस्व वसूली स्थिगित आदि राहत गतिविधियों के संचालन का अनुमोदन किया गया।

6. विभाग द्वारा विभिन्न राहत गतिविधियों में वित्तीय वर्ष 2013—14 में 913.66 करोड का व्यय किया गया एवं वर्ष 2014—15 में अब तक 864.40 करोड का आवंटन किया गया है, जिसका अनुमोदन किया गया।

7. दिनांक 12.5.2014 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार संवत 2066 की भॉति संवत 2070 में भी अभावग्रस्त जिलों की अभावग्रस्त क्षेत्रों एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की समस्त पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान दिये जाने हेतु लिये गये नीतिगत निर्णय का अनुमोदन किया गया।

8. दिनांक 12.5.2014 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार संवत 2066 की भॉति संवत 2070 में भी जिलों में अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने पर सम्पूर्ण जिले में एवं घोषित राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होने पर केवल अभावग्रस्त ग्रामों में ही पेयजल परिवहन व्यय राज्य आपदा मोचन निधि से करने तथा शेष 04 जिलों (धौलपुर, जालोर, राजसमन्द एवं उदयपुर) के लिये पेयजल व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

9. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की पालना में राज्य में वर्तमान आपदा प्रबन्धन नीति जनवरी, 2007 में परिवर्तन की आवश्यकता के फलस्वरूप तैयार की गई नई नीति के प्रारूप का पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात दिनांक 15.7.2013 को राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया। जिसका अनुमोदन राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा किया गया।

10. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 23 के अन्तर्गत विभाग द्वारा तैयार राज्य आपदा प्रबन्धन योजना के प्रारूप का दिनांक 26.3.2014 को राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसका राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा भी अनुमोदन किया गया।

11. मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए संभावना व्यक्त की गई कि यह भी संभव है कि कुछ स्थानों/इलाकों में Cloud burst आदि होकर ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भी बन जाये। अतः आपदा की इस संभावना से निपटने हेतु भी तैयारी करनी होगी। सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने आश्वस्त किया कि इस हेतु पूर्व में ही बैठक कर पूर्ण प्रबन्धों की समीक्षा करली गई है। फिर भी आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को निर्देश दिये गये कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसी स्थिति से निपटने की तैयारी भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाये।

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

25/7/2014

शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ 1(1)(4)आ.प्र.एवं सआ/सामान्य–1/2007/ 8102-25

जयपुर,दिनांकः 25.7.14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि एवं पशुपालन, राज.,जयपुर।
6. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ऊर्जा, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सहकारिता, राज., जयपुर।
8. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग
11. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
12. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
19. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग।
20. निजी सचिव, सचिव, (प्रथम) माननीय मुख्यमंत्री।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
22. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
23. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट "अ"

दिनांक 08.07.2014 को राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित मंत्रीगण एवं अधिकारीगण।

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री गुलाब चन्द कटारिया	आपदा प्रबन्धन एवं सहायाता मंत्री
2.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
3.	श्री प्रभु लाल सैनी	कृषि मंत्री
4.	श्री गजेन्द्र सिंह खिंवसर	ऊर्जा मंत्री
5.	श्री अजयसिंह	सहकारिता मंत्री
6.	श्री हेम सिंह भडाना	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोग्ता मामले मंत्री
7.	श्री राजीव महर्षि	मुख्य सचिव
8.	श्री सी. एस. राजन	अति0 मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर
9.	श्री अशोक सम्पतराम	अति0 मुख्य सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग
10.	श्री राजहंश उपाध्याय	अति0 मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग
11.	श्री मुकेश शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
12.	श्री दीपक उप्रेती	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्थास्थ्य विभाग
13.	श्री प्रेम सिंह मेहरा	प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
14.	श्री सुबोध अग्रवाल	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोग्ता मामले विभाग
15.	श्री अभय कुमार	शासन सचिव, पशुपालन विभाग
17.	श्री आलोक	शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
18.	श्री राजीव सिंह ठाकुर	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
19.	श्री कुंजीलाल मीणा	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
20.	श्री अजिताभ शर्मा	शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
21.	श्री पी.एल. सोलंकी	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग
22	श्री बी. एन. विश्नोई	निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग
23.	श्री गोविन्द स्वरूप माथुर	स्हायक निदेशक, मत्स्य विभाग